कार्यालय, रजिस्ट्रार, फर्म्स, सोसाइटीज एवं चिट्स, उत्तर प्रदेश, लखनऊ

परिपत्र

मा॰ उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा रिट-सी संख्या-9491/2026 'द कमेटी ऑफ मैनेजमेंट, सतचौरी समाज कल्याण समिति बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य' में दिनांक 03.04.2026 को पारित आदेश के अनुपालन में पंजिकाओं (Registers) के अनिवार्य रख-रखाव के सम्बन्ध में।

मा॰ उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा रिट-सी संख्या-9491/2026 'द कमेटी ऑफ मैनेजमेंट, सतचौरी समाज कल्याण समिति बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य' में पारित आदेश दिनांक 03.04.2026 का सन्दर्भ ग्रहण करें। मा॰ उच्च न्यायालय द्वारा यह पाया गया है कि उत्तर प्रदेश सोसाइटी पंजीकरण नियमावली, 1976 के **नियम-6** का समुचित अनुपालन न होने के कारण सोसायटियों के चुनाव एवं प्रबंधन में विवाद उत्पन्न हो रहे हैं।

अतः मा॰ न्यायालय के निर्देशों एवं उत्तर प्रदेश सोसाइटी पंजीकरण नियमावली, 1976 के नियम-6 की व्यवस्था के क्रम में समस्त डिप्टी/सहायक रजिस्ट्रारों को निम्नलिखित निर्देश दिये जाते है:

1. उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश सोसाइटी पंजीकरण नियमावली, 1976 के नियम-6 में निम्न व्यवस्था प्राविधानित है -

   6. **Registers to be maintained by the Registrar** - The Registrar shall maintain the following registers, namely:-
   (a) The Register of Societies in Form I.
   (b) The Register of Renewals in Form II.
   (c) The Register of Daily Receipts in Form III.
   (d) Receipt Book in Form IV.
   (e) The Register of Inspections in Form V.
   (f) The Register of Copies issued in Form VI.
   (g) The Register of Verification of Deposits in Form VII.
   (h) Any other Register which the Registrar considers proper or which the State Government so directs

2. यह संज्ञान में आया है कि कतिपय कार्यालय ऑनलाइन व्यवस्था का हवाला देकर प्रपत्र-I (सोसाइटी रजिस्टर) एवं प्रपत्र-II (नवीनीकरण रजिस्टर) का रख-रखाव नहीं कर रहे हैं। जो उचित नहीं है । यह स्पष्ट किया जाता है कि विभागीय पोर्टल पर डेटा उपलब्ध होने के बावजूद, उत्तर प्रदेश सोसाइटी पंजीकरण नियमावली, 1976 के नियम-6 की व्यवस्था अनुसार निर्धारित समस्त पंजिकाओं (प्रपत्र-I से VII) को अनिवार्य रूप से नियमानुसार अनुरक्षित किया जाये ।

3. यदि किसी संस्था में कोई विवाद उत्पन्न होता है, तो उसके सम्बन्ध में सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 की धारा 25(1) व धारा 25(2) के अंतर्गत नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

4. अतः उक्तानुसार नियम 6 का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए प्रपत्र 1 को विभागीय वेबसाइट पर भी उपलब्ध कराये |

उक्त निर्देशों का उल्लंघन होने पर संबंधित अधिकारी का व्यक्तिगत उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाएगा।

संलग्नक: मा० उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 03.04.2026 की प्रति।

11.5.26

(डॉ० अलका वर्मा)
रजिस्ट्रार

संख्या: 57 /2026-27 **दिनांक:** 11 मई, 2026

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1. डिप्टी रजिस्ट्रार, फर्म्स, सोसाइटीज एवं चिट्स, उत्तर प्रदेश लखनऊ को उक्तानुसार अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने हेतु ।
2. समस्त डिप्टी रजिस्ट्रार/सहायक रजिस्ट्रार, फर्म्स, सोसाइटीज एवं चिट्स, उत्तर प्रदेश।
3. राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, NIC तृतीय तल योजना भवन लखनऊ को इस आशय से प्रेषित मुख्यालय को विभाग की वेबसाइट पर **उत्तर प्रदेश सोसाइटी पंजीकरण नियमावली, 1976 के नियम 6** के अनुसार प्रपत्र-1 उपलब्ध कराने हेतु तत्काल आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करे एवं कृत कार्यवाही से अवगत कराये ।

डिप्टी रजिस्ट्रार

o/c

प्रपत्र-I

(नियम 6-(क))

सोसाइटी का रजिस्टर

1. संस्था का नाम ....

2. रजिस्ट्रीकृत कार्यालय ....

आवेदन प्राप्त करने की तारीख	दाखिल किये गए दस्तावेजो की विशिष्टियां	किसके द्वारा दाखिल किये गए	रजिस्ट्रीकरण फीस की राशि और बैंक ड्राफ्ट, पोस्टल आर्डर आदि की संख्या और दिनांक	यदि सोसाइटी रजिस्ट्रीकृत है तो		यदि रजिस्ट्रीकरण अस्वीकार किया गया हो तो अस्वीकार करने का कारण	क्रम संख्या और नवीकरण का दिनांक	अभ्युक्ति
				रजिस्ट्रीकरण का दिनांक	रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र जारी करने का दिनांक			
1	2	3	4	5	6	7	8	9